

कार्यालय:- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

ई-मेल

- पत्रांक C-1364 / स0क0 / पूर्व दशम छात्र0 / 2024-25 / दिनांक 29/06/2024
- 1- प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)
समस्त हाई स्कूल व इन्टर कालेज,
जनपद सहारनपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व सामान्य वर्ग पूर्व दशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 86 दिनांक 28/06/2024 के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु समय-सारणी जारी की गयी है।

समय-सारणी अनुसार शिक्षण स्तर द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाईन डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापित वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने आदि कार्यवाही सम्पन्न की जानी है। मास्टर डाटा अपडेट करते समय प्रत्येक प्रविष्टि त्रुटिरहित होनी चाहिये।

समय सारणी अनुसार मास्टर डाटा तैयार करने की तिथि 10 जुलाई से 02 सितम्बर 2024 है। अनुसूचित जाति/जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्र 01/07/2024 से 21/10/2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे तथा आवेदन करने की तिथि 10/07/2024 से 31/10/2024 तक है।

उक्त समय-सारणी इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समय-सारणी का बिन्दुवार अध्ययनकर अनुपालन करते हुये समस्त छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा छात्रों को आनलाईन आवेदन करने की तिथि, संस्था में आवेदन प्राप्त कराने की तिथि, संशोधन की तिथि व अन्य मुख्य सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

अतः उक्त समय-सारणी एवं अन्य निर्देश जो कि पत्र के अन्तिम पृष्ठ पर अंकित है, का अनुपालन करते हुये समस्त छात्रों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अर्चना)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0 सं0 / तददिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, (योजनाधिकारी छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- सहायक निदेशक (नोडल छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से उक्त समय सारणी के संबंध में समस्त हाई स्कूल व इन्टर कालेज को अवगत कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सहारनपुर।

संख्या-86 /2024/1833/26-3-2024/C.N.-1396097

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-914-15/स०क०/शिक्षा-अ/4/5/2024-25 दिनांक 20.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
मास्टर डाटा		
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	10 जुलाई, 2024 से 02 सितम्बर, 2024 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	11 जुलाई, 2024 से 06 सितम्बर, 2024 तक
3	पी०एफ०एम०एस० पर छात्रों का वैलिडेशन	19 नवम्बर, 2024 से 08 जनवरी, 2025 तक

कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया		
4	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना	01 जुलाई, 2024 से 21 अक्टूबर, 2024 तक
5	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	10 जुलाई, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	04 नवम्बर, 2024 तक
7	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	08 नवम्बर, 2024 तक
8	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2024 से 18 नवम्बर, 2024 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	19 नवम्बर, 2024 से 06 दिसम्बर, 2024 तक
10	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	19 नवम्बर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक
11	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	29 नवम्बर, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 10 दिसम्बर, 2024 तक
13	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 दिसम्बर, 2024 से 14 दिसम्बर, 2024 तक
14	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	16 दिसम्बर, 2024 से 27 दिसम्बर, 2024 तक
15	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध	29 नवम्बर, 2024 से 17 जनवरी, 2025 तक

	डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
16	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	22 जनवरी, 2025 तक
17	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	28 जनवरी, 2025 तक

नोट:-कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलिओं में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by महदीय,
Rajneesh Chandra

Date: 28-03-2024 11:38:47

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव।

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

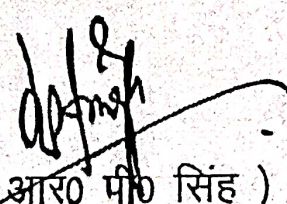
निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-९-१०४३ / स०क०/शिक्षा-अ/४/५/२०२४-२५

लखनऊ: दिनांक: २४ जून, २०२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-३
- २- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- ३- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ४- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- ५- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- ६- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
- ७- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- ८- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक २८-०६-२०२४ द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा ९-१०) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित समस्त पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित विद्यालयों में समय सारिणी उपलब्ध कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।


(आर० पी० सिंह)
उप निदेशक
कृते निदेशक
P.S.